(पीठासीन अधिकारी पुष्कर राज शर्मा ...)

प्रवेश दिनांकः—17.92014

दावा संख्याः—310 / 2014

बूराम पुत्र दानाराम जाति हरिजन निवासी हरदयालपुरा तहसील सीकर

—वादी

बनाम

तुलसी राम पुत्र बोदूराम
पूर्णमल पुत्र बोदूराम
रणजीत पुत्र भानाराम
ग्यारसी पत्नी भानाराम
लक्ष्मणराम
गोपाल
झाबरमल
बनवारीलाल पुत्रगण छोटूराम
सिणगारी पुत्री छोटूराम समस्त जाति हरिजन निवासी हरदयालपुरा तहसील सीकर।
10. प्रबन्धक पीएनबी पिपराली तहसील सीकर ।
11. प्रबन्धक बीआरजीबी पिपराली तहसील सीकर ।
12. तहसीलदार तहसील सीकर।

—प्रतिवादी

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88.188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>
<u>एंव धारा 135, 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>उपस्थित अधिवक्तागणः—</u>
1. श्री राजेश — वादी
2. श्री मुकेश कुमार — प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 9 3
2. श्री सोहन लाल — प्रतिवादी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी सीकर

(2)

<u>अन्तिम डिक्री विभाजन</u>

निर्णय दिनांकः—6-5-2015

तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि ग्राम दादली तहसील सीकर में ख0 नं0 400 ... खसरा नम्बर 401 रकबा 1.26 है0, खसरा नम्बर 621 रकबा 3.09 है0 व 622 रकबा 1.31 है0 किता 4 कुल रकबा 5.69 है0 वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 9 ... खातेदारी की भूमि है जिस पर कब्जा काश्त पूर्वजो से चला आ रहा है । ... सम्पूर्ण भूमि मे से वादी का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी नं0 1 का हिस्सा 1/8 ... 2 का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी नं0 तीन व चार 1/4 है। एव प्रतिवादी नं 5 से 9 .../8 है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी नं0 1 से 9 हम सभी सम्पूर्ण भूमि शामलाती ...कारी करते है। परन्तु अब वर्तमान परिवेश मे कृषि भूमियों कि कीमते बढ जाने ... उपरोक्त कृषि भूमियों का बेचान व हस्तांतरण करना चाहते है, इसलिए राजस्व ...नुसार विधिवत नियमानुसार बंटवारा मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण 1 से 9 के ... कर सींव नींव डालकर किया जाना व राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती होना अति

... आराजी में काश्त करने से प्रतिवादीगण 1 से 9 बाधा डाल रहे है इसलिए ... रिकार्ड का हल्का पटवारी से पता लगाया तो उन्होने बताया कि प्रतिवादीगण ...क्त आपके हिस्से वाली जमीन को विकय करना चाहते है तो उपरोक्त घटना ...14 से मुझे भय हो गया था कि मुझे विवादित कृषि भूमियों में हिस्सा हक ... नही करने देने की गर्ज से किसी राजनैतिक पार्टी के उच्च नेता के हस्तांतरण ...दी को बेदखल करना चाहते है वादी अकेला अजनबी के साथ काश्त नही कर ...लिए दावा बटवारा अस्थायी निषेधाज्ञा व बटवारा कर दुरस्ती रिकार्ड पेश करना ... है। खीवणी पत्नी छोटूराम का स्वर्गवास होने से पक्षकार नही बनाया है। छोटू ...रिसान को पक्षकारान बनाया गया है। जो दुरस्ती रिकार्ड बनाया जावे।
...बाद वादी डिक्री किया जाकर वादी की कृषि भूमि ख0 नं0 400, 401, 621, 622 ... 5.69 है0 ग्राम दादली तहसील सीकर में वादी के हक हिस्सा स्वामित्व कब्जा ...री की कृषि भूमियो मे से 1/4 हिस्सा शामलाती हक हिस्सा विधिवत बंटवारा ...जनबी को प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 तक को बेचान का हस्तांतरण किये जाने से ... को अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाये। प्रतिवादीगण 1 से 9 तक अपने ...बिना पूर्व बटवारा के बेचान कर हस्तांतरण नही करें। एवं मौका व रिकार्ड में ... करें व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।
...क्त ख0 नं0 कि कृषि का बटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी के हक ... कृषि भूमि 1/4 में सींव नीवं डालकर वादी के बटवारा के अनुसार राजस्व से कोई ... जावें। एवं प्रतिवादीगण 1 से 9 लियागत का नाम खाते से हटाया जावे।
... दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये।

उपखण्ड अधिकारी सीकर

तिवादीगण संख्या 1व 3 लगायत 9 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किर
उपरोक्त भूमियां राजस्व रिकार्ड में शामलाती जरूर है, लेकिन मौके पर पक्षकार
पसी सहमति से विभाजन कर रखा है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 का
स्सा होना गलत रूप से अंकित किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 9 का
स्सा नही होकर 1/4 हक, हिस्सा है। दिनांक 01.09.2014 अथवा उसके अ
तिवादीगण संख्या 1 व 2 की वादी से कोई बातचीत तक नही हुई। उक्त धारा में
मस्त कहानी झूंठी तथा बनावटी है। जो प्रस्तुत झूंठे दावे को प्रभावी बनाने की दुर्भा
भिकथित की गयी है। बाहमी बंटवारे के अनुसार कब्जा व अलग–अलग खातेदारी
रवाने हेतु उत्तरदातागण सिद्व एवं तत्पर है।

वादी प्रतिवादीगण को अपने हक, हिस्से की जमीन को बेचान करने से प्रति
रवाने के हकदार नही है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने हक व हिस्से की जमीन बेचान क
दी को किसी तरफ की क्षति होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। वाद वादी डिकी
ाने योग्य नही है। इसलिए खारिज किया जाकर विरुद्व वादी डिकी किया जावे।

विशेष कथन में अंकित किया गया कि वादी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से
ाया है। उसने महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर झूंठे अभिकथन करते हुये न्यायालय को मुग
दया है। वास्तविकता यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के मध्य अर्सा
0 वर्षो पूर्व ही वादग्रस्त भूमियों का बाहमी बंटवारा हो चुका है। प्रतिवादीगण संख
गायत 9 के हक हिस्से में भूमियां खसरा नम्बर 400 व 401 बाहमी बंटवारे में आयी हु
ष भूमियां खसरा नम्बर 621 व 622 वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के हक हिर
ायी हुई है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के मध्य भूमियों खसरा नम्बर 621 व
ा जो बाहमी बंटवारा हो रखा है, उसके अनुसार भूमि खसरा नम्बर 622 प्रतिवादीगण र
व 2 के हक व हिस्से में आयी हुई है तथा खसरा नम्बर 622 का रकबा कम होने के व
उसके खसरा नम्बर 621 का कुल रकबा खसरा नम्बर 622 के लगता हुआ मिलाया हुअ
खसरा नम्बर 621 के शेष रकबे को दो भागों में विभक्त करके उक्त भूमि का पूर्वी दिशा
हिस्सा वादी तथा पश्चिमी दिशा का हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 के हिस्से में आया
। भूमि खसरा नम्बर 621 के पश्चिमी दिशा में ग्राम हरदयालपुरा के ग्राम चारण का
ाने वाला रास्ता लगता है। इसलिए उक्त रास्ते से निकलकर भूमि खसरा नम्बर 621
ध्य मे से भूमि खसरा नम्बर 622 में आवागमन हेतु 18 फीट चौड़ा रास्ता विद्यमान
उत्तरदातागण उपरोक्त बाहमी विभाजन के अनुसार अलग–अलग खातेदारी दर्ज करवाने
सिद्व एवं तत्पर है। उपरोक्त बाहमी विभाजन का नजरी नक्शा जवाबदावा के साथ पेश कि
ा रहा है। अतः वाद वादी मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 9 प्रबंधक पीएनबी पिपराली व प्रतिवादी संख्या 10 प्रबंधक बीआरए
पिपराली की तामील हो चुकी है परन्तु उनकी ओर से कोई जवाब दावा प्रस्तुत नही कि
या।

वादीगण की ओर से नकल जमाबंदी संवत् 2068–2071 ग्राम दादली प्रस्तुत की ग
वाद में वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 2 लगायत 9 ने राजीनामा प्रस्तुत कर कथन वि
के उनके मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है कि विवादित भूमियों के

उपखण्ड अधिकारी सीकर

बंध में जो विवाद थे, उनको निपटाकर वादग्रस्त भूमियों का आपसी सहमति से मौके
म्न प्रकार से बटवारा कर अलग अलग कब्जा कर नींव सींव कायम कर ली है, जि
म्न प्रकार से अंकित और दर्शित किया गया हैः–

0 सं0	जिनको बंटवारे में प्राप्त हुई	ख0 नं0	रकबा
	प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 9 लक्ष्मण, गोपाल, झाबर, बनवारी पुत्रगण छोटुराम व सिणगारी पुत्री छोटूराम	400 401	0.03 है0 1.26 है0 कुल रकबा 1.29
	प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तुलसीराम पूर्णमल पुत्रगण बोदूराम	622 621 मे से पूर्वी दिशा की ख0 नं0 622 से लगती हुई	1.31 0.1266 कुल रकबा 1.4
	प्रतिवादीगण सं0 3 व 4 रणजीत पुत्र भानाराम ग्यारसी पत्नी भानाराम	621 मे से उत्तर दिशा का रकबा	1.436
	वादी साबूराम पुत्र दानाराम	621 मे से दक्षिणी का रकबा	1.436
	वादी एवं प्रतिवादीगण सं01 लगायत 4 का शामलाती रहेगा	621 के मध्य से 21 फुट चौड़ा रास्ता	0.

अतः वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 के मध्य राजीनामा के मुताबिक बंटवारा
जाकर वादी अलग अलग खाता व अलग अलग लगान निर्धारित किया जाना उचित, आ
व न्याय संगत है।

राजीनामें के साथ में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 9 द्वारा आपसी
से किये गये बंटवारे का नजरी नक्शा पेश किया जा रहा है, जिसे राजीनामा का भाग
जावे। वाद राजीनामा मूताबिक डिकी किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत
मध्य वादग्रस्त भूमियों का बंटवारा किया जाकर अलग अलग खाता व अलग अलग
निर्धारित किया किया जावे।

राजीनामा वादी व प्रतिवादीगण के समक्ष पढ़कर सुनाया गया एवं पक्षकारान द्वा
होना स्वीकार किया जाने पर तस्दीक किया गया। पक्षकारान की पहचान उनके अधि
द्वारा की गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं राजीनामे का अवलोकन किया गया।
पक्षकारान नकल जमाबंदी संवत् 2068–2071 के अनुसार विवादित आराजी के सह–
है। पक्षकारान सह–खातेदार है, जिन्हें अपना खाता अलग–अलग करवाने का अधिकार

उपखण्ड अधिकारी सीकर

जवाबदावे में भी प्रतिवादीगण विभाजन हेतु सहमत है। इसलिए राजीनामे के अनुसार द डिक्री किया जाना उचित है। अतः अन्तिम डिक्री विभाजन पारित की जाकर विवादित राजी खसरा नम्बर 400, 401, 621 व 622 ग्राम दादली तहसील सीकर का विभाजन हकारान के मध्य विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है।

0 सं0	नाम खातेदार	ख0 नं0	रकबा
	प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 9 लक्ष्मण, गोपाल, झाबर, बनवारी पुत्रगण छोटुराम व सिणगारी पुत्री छोटूराम	400 401	0.03 है0 1.26 है0 कुल रकबा 1.29 है0
	प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तुलसीराम हिस्सा 1/2 राहिन आरजीबी शाखा पिपराली मूर्तहीन पूर्णमल पुत्रगण बोदूराम हिस्सा 1/2 राहिन पीएनबी शाखा पिपराली मूर्तहीन	622 621 मे से पूर्वी दिशा की ख0 नं0 622 से लगती हुई	1.31 है0 0.1266 है0 कुल रकबा 1.4366
	प्रतिवादीगण सं0 3 व 4 रणजीत पुत्र भानाराम ग्यारसी पत्नी भानाराम	621 मे से उत्तर दिशा का रकबा	1.4367 है0
	वादी साबूराम पुत्र दानाराम	621 मे से दक्षिणी का रकबा	1.4367 है0
	वादी एवं प्रतिवादीगण सं01 लगायत 4 का शामलाती रहेगा	621 के मध्य से 21 फुट चौडा रास्ता	0.09 है0

राजीनामे के साथ संलग्न नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार, सीकर उक्तानुसार जस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय आज दिनांक 6-8-2015 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीकर
उपखण्ड अधिकारी- सीकर